

न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 चंदेरी जिला अशोकनगर(म0प्र0)
समक्ष:—साजिद मोहम्मद

व्यवहारवाद कमांक—67ए/2016
 संस्थित दिनांक— 07.01.2016

1.	लालाराम पुत्र पहाडसिह आयु 40 साल
2.	भगवान पुत्र पहाडसिह आयु 38 साल
3.	राजकुमारी पुत्र पहाडसिह आयु 35 साल
4.	बबीता पुत्री पहाडसिह आयु 30 साल
5.	कविताबाई बेवा गजराज सिंह आयु 40 साल
6.	सोहित नाबालिग पुत्र गजराम सिंह आयु 10 साल
7.	निखिल नाबालिग पुत्र गजराम सिंह आयु 8 साल
8.	सूवी नाबालिग पुत्री गजराम सिंह आयु 12 साल
9.	पहाडसिह पुत्र करन सिंह 70 साल समस्त जाति लोधी पेशा खेती निवासीगण— ग्राह हलनपुर, तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
वादीगण
	बनाम
1.	जिला वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, जिला अशोकनगर म0प्र0
2.	वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र रेन्ज चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3.	म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर म0प्र0
प्रतिवादीगण

-----::// निर्णय //::-----

{आज दिनांक:- 23.02.2017 को घोषित किया गया}

01— यह दावा वादीगण की ओर से ग्राम हलनपुर तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 115/07 रकबा 1.254 है० भूमि वादी क्र० 1 लगायत 9 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है (जिसे आगामी पदों में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा) विवादग्रस्त भूमि को वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से अ, ब, स, द भाग से दर्शाया गया है पर स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम हलनपुर तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 115/07 रकबा 1.254 है० भूमि वादी क्र० 1 लगायत 9 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि होकर विवादग्रस्त भूमि है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण क्र० 1 लगायत 4 का हिस्सा 4/5 तथा वादीगण क्र० 5 लगायत 8 का हिस्सा 1/5 तथा वादी क्र० 9 का हिस्सा 0.252 है० उक्त भूमि में हिस्सा रकबा 1.002 है० भूमि पूर्व में वादीगण 1 लगायत 4 एवं उनके भाई गजराम सिंह की मां सियाबाई के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि थी। गजराम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण 5 लगायत 8 मृतक गजराम सिंह के विधिक वारिसान है तथा रकबा 0.252 है० भूमि तुलसीराम पुत्र जनका, उमेदिया बेबा जनका के स्वामी व अधिपत्य की थी जिसे वादी क्र० 9 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कब्जा कर प्राप्त किया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में रकबा 0.252 है० भूमि वादी क्र० 9 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। विवादग्रस्त भूमि मौके पर एकजाई भूमि है तथा सभी वादीगण मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर सामिल रूप से कास्त करते चले आ रहे हैं। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की शामिलाली भूमि हैं जिसपर वादीगण काबिज होकर कास्त करते आ रहे हैं।

03— विवादग्रस्त भूमि जिसकी चारों ओर पक्की मेढे बनी हुई है एवं भूमि की सुरक्षा के लिये पत्थर का कोट बना हुआ है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का विवादग्रस्त भूमि से एवं उनके किसी भी भाग से कोई संबंध नहीं है और न ही कभी रहा है। प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारियों ने वादीगण को खेती करने से नहीं रोका है। प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के अधिनस्थ कर्मचारी दिनांक 20.08.15 से वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में जबरन मुडैर बनाने की धमकी दे

रहे हैं तथा वादीगण के स्वत्वों से इंकार कर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण वादीगण को शांति पूर्वक खेती नहीं करने दे रहे हैं। दिनांक 20.08.2015 को प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के अधिनस्थ कर्मचारी, बीट गार्ड एवं वन अमले ने विवादग्रस्त भूमि पर आकर जबरन वादीगण की विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की भूमि बतलाकर उक्त भूमि में मुडैर बनबाने की धमकी देने लगे। वादीगण के मना करने पर वादीगण को पुलिस में बंद कराने की धमकी देने लगे एवं जबरन मारपीट करने को अमादा हो गये।

04— वाद कारण दिनांक 20.08.2015 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 के अधिनस्थ कर्मचारी बीटगार्ड एवं वन अमले द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर आकर वादीगण के स्वत्व की भूमि में जबरन वन विभाग की मुडैर बनाने की धमकी देने व वादीगण व उनके परिवारवालों को बंद कराने की धमकी देने के कारण एवं विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के कारण उत्पन्न हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र भी अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 25.08.2015 को प्रेषित करवाया था जिसका आज दिनांक तक जबाब नहीं दिया है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की सीमा की भूमि है। राजस्व विभाग द्वारा वादीगण से लगान आदि लिया जाता है। वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा सीमा आदि डालने की कोई अनुमति नहीं दी गई। वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम हलनपुर तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 115/07 रकबा 1.254 है० भूमि पर वादीगण द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, एवं प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

05— प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 3 ने जबाब दावे में व्यक्त किया कि वन विभाग में सर्वे क्रमांकों का प्रचलन नहीं है। अपीतु कक्ष क्र० प्रभावशील है। वन विभाग की बीट नावली जिसके अन्तर्गत ग्राम हलनपुर आता है के कक्ष क्र० पी189 जो वन विभाग के अक्ष में हरे रंग से दर्शित भाग है जिसे वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बताई गई है वह पुर्णतः वन भूमि होकर वन विभाग के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसका वादीगण से कोई वैधानिक संबंध नहीं है। उक्त विवादग्रस्त भूमि मौके पर पडत पडी हुई है तथा उक्त भूमि पर कोई कृषि नहीं होती है और वादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। विवादग्रस्त भूमि वन विभाग की भूमि होने से उसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वादीगण द्वारा मात्र वन विभाग की भूमि को हडपने के उद्देश्य से असत्य दावा प्रस्तुत किया है। विवादग्रस्त भूमि वन विभाग की होने से राजस्व विभाग का कोई वास्ता नहीं है। वादीगण द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया

है। वन विभाग को कर्मचारी अधिकारीयो ने दिनांक 20.02.16 को उक्त भूमि का जी.पी.एस. रीडिंग ली जिससे उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व की है तथा मौके पर पंचनामा बनाया गया है जिसे वादीगण मानने को तैयार नहीं है। अतः वाद सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

06— उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :—

1.	क्या ग्राम हलनपुर, तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 115/7 रकबा 1.254 है० वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या प्रतिवापदी क्र० 1 व 2 उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप किये जाने हेतु प्रयासरत है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्र० 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित
5.	सहायता एवं व्यय	पैरा 17 के अनुसार निरस्त

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

वाद प्रश्न क्र० 1 व 3 :-

07— वादप्रश्न क्र० 1 व 3 एक दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य का उन्ही बिन्दुओं पर पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टिकोण से उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। वादप्रश्न क्र० 1 को साबित करने का भार वादी में निहित है। लालाराम वा०सा०३ ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि ग्राम हलनपुर तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 115/07 रकबा 1.254 है० भूमि उसकी एवं उसके पिता पहाड सिंह भाई भगवान सिंह एवं राजकुमारी, बबीता, कविता, सोहिल, निखिल सभी के

स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण वनविभाग का कोई संबंध नहीं है न रहा है। तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि होकर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम होने का उल्लेख है। वादी की उक्त बात का समर्थन धन्ना वा0सा01 एवं मानसिंह वा0सा0 2 ने भी उनके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया है।

08— वादी का मुख्य रूप से यह अभिवचन है कि उसने विवादग्रस्त भूमि को उन्होंने पूर्व भूमि स्वामी के क्रय करना व्यक्त किया। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में खतौनी एवं खसरा वर्ष 2015—16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र. पी. 1 एवं 2 नोटिस प्र.पी.3, नोटिस भेजने की रसीदे क्र0 4 लगातय 6, प्राप्ति रसीद प्र.पी. 7, मूल विक्रय पत्र क्र0 प्र.पी. 8, 9, 10, भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी. 11 पेश की है। जबकि प्रतिवादी म0प्र0 शासन ने उसके अभिवचन में व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि वन विभाग की बीट नाओली जिसके अन्तर्गत ग्राम हलनपुर आता है के कक्ष क्रमांक पी189 की भूमि है। उक्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है।

09— वादी लालाराम वा0सा03 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि सर्वे क्र0 115/7 की भूमि उसकी भूमि है जिससे लगकर वन विभाग व राजस्व विभाग की भूमि है। उक्त साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि उसने विवादग्रस्त भूमि को सीमांकन कराने के पश्चात खरीदी थी परन्तु इस बात को स्वीकार किया कि उसके संबंध में सीमांकन से संबंधित दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये। वादी की ओर से प्रस्तुत खतौनी, खसरा एवं भूअधिकार ऋण पुस्तिका प्र.पी. 11 का अवलोकन करने से विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 115/7 रकबा 1.254 है0 वादीगण के नाम होना उल्लेखित है एवं वादी की ओर से प्रस्तुत मूल विक्रय पत्र प्र.पी. 8, 9 व 10 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 115/07 विक्रेता तेजसिंह पुत्र जनका, विक्रेता रमेश पुत्र जनका एवं विक्रेता तुलसीराम पुत्र जनका से वादीगण द्वारा क्रय किये जाने का उल्लेख है। उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण से पूर्व विक्रेतागण के पास आने का क्या श्रोत था। इस संबंध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य या अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि प्रतिवादी वन विभाग की ओर से उक्त विवादग्रस्त भूमि को वन विभाग की भूमि होना बताया है जिसको विक्रय करने का अधिकार किसी को नहीं है।

10— वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होने का मुख्य आधार वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि को क्रय किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित होता है। किन्तु वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है

जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि को क्रय करने से पूर्व क्या पूर्व विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था। वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिये यह प्रमाणित करना होगा कि विक्रेता का वादग्रस्त भूमि में जिसको उसने विक्रय किया था स्वत्व था। **निहाल चन्द्र बनाम वेवी सहेली 1985 एमपीडब्ल्यूएन 380 म0प्र0 में माननीय न्यायालय** द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि यदि घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जाए तो वादी पर यह साबित करने का भार है कि उसके पूर्व हिताधिकारी का स्वत्व था।

11— प्रकाश चन्द्र वि० शम्भू दयाल 1985 एमपीडब्ल्यूएन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि Transfer of property act 1882 Sec. 54- seller having no title- purchaser get none वादीगण की ओर से विवादग्रस्त भूमि को क्रय किये जाने के पूर्व विक्रेता तेजसिंह पुत्र जनका, विक्रेता रमेश पुत्र जनका एवं विक्रेता तुलसीराम पुत्र जनका के पास उक्त भूमि कहा से आई और उसका श्रोत क्या था। इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखित साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पर विक्रेता तेजसिंह पुत्र जनका, विक्रेता रमेश पुत्र जनका एवं विक्रेता तुलसीराम पुत्र जनका स्वामित्व रहा है। उक्त न्याय दृष्टांतों के आलोक में यह सिद्ध भार वादीगण पर था कि वह वादग्रस्त भूमि में पूर्व विक्रेतागण का स्वत्व रहा है। किन्तु वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र प्र.पी. 8, 9, 10 से वादी को भी वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।

12— प्रकरण में यह उल्लेख करना उचित होगा कि केवल राजस्व संबंधी दस्तावेजों के आधार पर स्वत्व घोषित नहीं किया जा सकता। **विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म0प्र0 लॉ जनरल पेज 25 में** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यर्थात्ता का उपधारणात्म मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्बलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है। इस प्रकार उपरोक्ता अनुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता।

13— वादीगण का यह भी अभिवचन है कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण काबिज है और कृषि कार्य कर रहे हैं। वादी साक्षी धन्ना व0सा01 ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि विवादग्रस्त भूमि के दूसरी तरफ जंगल की भूमि है और स्वयं वादी लाला राम ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में इस बात को स्वीकार किया है कि वन विभाग की भूमि उसकी भूमि के 2 तरफ लगी हुई है। प्रतिवादी वन विभाग की ओर से राकेश कुमार दण्डोटिया प्र0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि जब उनके द्वारा विवादग्रस्त भूमि की जीपीएस रीडिंग ली गई थी उस समय वादी लालाराम की भूमि वन विभाग की भूमि में निकली थी जो लगभग 6—7 बीघा थी तथा अनिल शर्मा प्र0सा02 ने भी उसके प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया कि जिस समय डिप्टी रैंजर दण्डोटिया द्वारा विवादग्रस्त भूमि की जीपीएस रीडिंग ली थी उस समय वादी लालाराम जिस जगह काबिज है रिकार्ड के अनुसार वह भूमि वन विभाग की भूमि है।

14— जहां कि वादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व प्रमाणित नहीं हुआ है एवं प्रतिवादी वन विभाग की ओर से प्रस्तुत पंचनामा प्र.डी.1 का अवलोकन करने से उक्त पंचनामे के अनुसार विवादग्रस्त भूमि की जीपीएस रीडिंग ली जाने पर विवादग्रस्त भूमि वन विभाग की भूमि में होना पाया था। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है तब स्वामित्व के अभाव में एवं विवादग्रस्त भूमि पंचनामा प्र.डी. 1 के अनुसार वन विभाग की भूमि होने से उक्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य वैध नहीं माना जा सकता। उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के अनुसार यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं वैध आधिपत्यधारी है। अतः **वादप्रश्न क0 1 का निराकरण प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है। जहां कि वादी को यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि विवादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। अतः **वाद प्रश्न क0 3 का निराकरण प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क0 2:—

15— वाद प्रश्न क0 2 को साबित करने का भार वादी में निहित है। वादी साक्षी धन्ना व0सा01 मानसिंह वा0सा02, एवं स्वयं वादी लालाराम वा0सा03 ने उनके मुख्य परीक्षण में यह लेख किया है कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगभग एक वर्ष से उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और उक्त भूमि से बेदखल करने एवं कब्जा छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। वादी साक्षी धन्नालाल ने उसके

प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में इस बात को स्वीकार किया है कि वन विभाग वालों ने विवादग्रस्त भूमि से फसल बोने व काटने से वादीगण को नहीं रोका है और न ही साक्षी के समक्ष वन विभाग वालों की ओर वादीगण का आपस में कोई झगड़ा हुआ है। स्वयं वादी लालाराम ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी अषाढ के माह में वादग्रस्त भूमि पर आए थे जिन्होंने विवादग्रस्त भूमि पर फसल बोने से रोका था इसके अलावा वन विभाग के लोगो ने उससे कुछ नहीं कहा। जबकि प्रतिवादी वन विभाग ने उसके अभिवचनों में इस बात से स्पष्टतः इंकार किया है कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

वादप्रश्न क0 4:—

16— प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावे में यह अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा वाद का उचित मुल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा नहीं किया है। परन्तु इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वादी की ओर से स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका मुल्यांकन वादी द्वारा 10,000/— रुपये कायम किया जाकर 600/— रुपये न्यायालय शुल्क अदा किया है जो न्यायालय शुल्क अधिनियम के अनुसूची 2 के अनुच्छेद 17 के अनुसार निर्धारित न्यायालय शुल्क अदा किया है जो पर्याप्त होना पाया जाता है। अतः वादप्रश्न क0 4 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

वादप्रश्न क0 5:—

सहायता एवं व्यय

17— उपरोक्तानुसार किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरान्त अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी अपना वाद प्रमाणित करने के असफल रहा है। फलतः वादी का वाद निरस्त किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है।

1. वाद निरस्त किया जाता है।

18— वादीगण स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

19— अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश

नियम 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0